(वाद संख्या–2977/4//2020)

09.09.2020

प्रसंगाधीन मामला परिवादी सुनिता मिश्रा के पति अजय कुमार मिश्र के निलंबन से मुक्ति से संबंधित है।

परिवादी के अनुसार उनके पति अजय कुमार मिश्र, जो भोजपुर समाहरणालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में आरा सदर प्रखंड में पदस्थापित हैं, तथा उन्हें गलत आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ नहीं मिल पाया है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एल0पी0ए0 25/2013 द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा एक माह के अन्दर विभागीय कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया गया है परन्तु परिवादी के पति के इस सम्बन्ध में बार–बार आवेदन के देने के बावजूद भी विभागीय कार्यवाही को समाप्त नहीं किया गया। इसी क्रम में परिवादी के पति द्वारा सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला भोजपुर के न्यायालय में माह जुलाई, 2019 में एक शिकायत भी दर्ज कराया गया, जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

जब समान आशय का मामला वर्त्तमान में किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष सुनवाई हेतु लंबित है तो ऐसी परिस्थिति में वर्त्तमान प्रक्रम में प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से अनुरोध है कि निर्धारित समय

सीमा के अन्दर परिवादी के शिकायत के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित प्राधिकार को निर्देश दिया जाय।

अतः उक्त मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पा कर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आज पारित आदेश व परिवादी के परिवाद–पत्र की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु भेजते हुए इसकी सूचना परिवादी को भी दे दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक